*समावेशी ऋण : अगला लक्ष्य**

एम. राजेश्वर राव

देवियो और सज्जनो,

मैं एसोचैम को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे आज यहां इस वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया। इस शिखर सम्मेलन का विषय - "वित्तीय समावेश और भारत में वित्तीय सेवाओं का भविष्य - विजन 2030" - वास्तव में इस समय हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, सामयिक और प्रासंगिक है। इस शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे पर होने वाली चर्चाओं से स्फूर्तिदायक विमर्श और नये निष्कर्ष बाहर आने चाहिए।

आर्थिक विकास और जनता के सामाजिक कल्याण में इसके महत्व को समझते हुए वित्तीय समावेश हमेशा महत्वपूर्ण नीतिगत अनिवार्यता रही है। हम वित्तीय समावेश के अपने प्रयास में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और अग्रणी बैंक योजना के संस्थानीकरण, बीसी मॉडल के कार्यान्वयन और हाल ही में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के साथ शुरू हुआ।

इस यात्रा में, हमने बदलती जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों और नीति संकेंद्रण को समायोजित किया है। व्यापक भौगोलिक प्रसार और बड़ी संख्या में बैंक से कटी हुई आबादी को शामिल करने की आवश्यकता को देखते हुए, लंबे समय से नीतिगत बल बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने पर रहा है। यह काफी हद तक सही माना जाता है कि बैंक और बैंक खाते तक पहुंच व्यापक वित्तीय समावेश की दिशा में पहला कदम है क्योंकि यह लोगों को अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करने के अलावा धन-प्रेषण जैसे बुनियादी बैंकिंग कार्य करने में सक्षम बनाता है। इस प्रयास में, आरबीआई ने बैंकों को अंडरबैंक पॉकेट्स में शाखाएं खोलने के लिए बाध्य किया, जिसके कारण 1990 के दशक से 2000 के दशक की शुरुआत में बैंक शाखाओं और बाद में ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) में काफी वृद्धि हुई। 2000 से अधिक (2009 में) और 2000 से कम (2012 में) की आबादी वाले गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने का रोडमैप भी तैयार किया गया था। इसके बाद, बैंकों को 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में भौतिक शाखाएं खोलने की सलाह दी गई। वित्तीय समावेश को मजबूत करने के लिए, शाखा प्राधिकार (ऑथराइजेशन) दिशानिर्देशों में ढील दी गई और प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण सहायता के लिए ₹2000 करोड़ की आरंभिक निधि के साथ वित्तीय समावेश फंड (एफआईएफ) स्थापित किया गया।

वर्ष 2015 में लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) के लिए अलग-अलग बैंकिंग लाइसेंस जारी करने के पीछे वित्तीय समावेश भी एक सोच था। एसएफबी को अनुकूलित जमा उत्पादों के माध्यम से वित्तीय समावेश बढ़ाने और लघु व्यवसाय इकाइयों, छोटे और सीमांत किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग, और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को, प्रौद्योगिकी की बदौलत कम परिचालन-लागत के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। । प्रवासी श्रमिकों, अल्प आय वाले परिवारों, छोटे व्यवसायों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं / अन्य उपयोगकर्ताओं को छोटे बचत खाते और भुगतान / धन-प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान बैंक भी स्थापित किए गए थे।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) 2019-2024 ने इन प्रयासों को और बढ़ावा दिया है। एनएसएफआई, वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए व्यापक प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेश प्रक्रिया को विस्तारित करने और बनाए रखने में मदद करने के लिए भारत में वित्तीय समावेश नीतियों के दृष्टिकोण और प्रमुख उद्देश्यों को परिभाषित करता है। इस रणनीति का उद्देश्य औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक किफायती तरीके से पहुंच प्रदान करना, वित्तीय समावेश को व्यापक और गहरा करना और वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता

---

* श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण - 08 सितंबर 2022, मुंबई - एसोचैम का 17वाँ वार्षिक शिखर सम्मेलन और बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के ऋण संबंधी अवॉर्ड। श्री चंदन कुमार, श्री प्रदीप कुमार और श्री प्रमांशु राजपूत द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के लिए आभार।

संरक्षण को बढ़ावा देना है, जबकि पीएमजेडीवाई के माध्यम से कम सेवा वाले क्षत्रों में बैंकों की पहुंच को बढ़ावा मिला है।

कुछ डेटा, परिप्रेक्ष्य समझने में हमारी मदद करेंगे। पीएमजेडीवाई के तहत अब तक 46.40 करोड़ लाभार्थी खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों[1] में ₹1.73 लाख करोड़ जमा-शेष है। जून 2022 तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा परिचालित 1.59 लाख शाखाएं हैं, जिनकी कुल जमा राशि 170 लाख करोड़ रुपये[2] से अधिक है, जो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर लगभग 15 शाखाओं के बराबर है। यह आगे 2.17 लाख एटीएम[3] के नेटवर्क द्वारा पूरित है, जिनमें से 47 प्रतिशत एटीएम ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं और बैंकों द्वारा करीब 32 लाख व्यवसाय प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया है[4]। विश्व बैंक के ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार, 2021 तक, 78 प्रतिशत भारतीय वयस्कों (15 वर्ष या उससे अधिक आयु की आबादी) के पास बैंक खाता था, जबकि 2014 में यह 53 प्रतिशत था। 25 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 किमी के दायरे में लगभग हर गांव तक हम बैंकिंग सेवा प्रदान करने में सक्षम हैं, जिसमें 99.94 प्रतिशत चिन्हित गांव शामिल हैं।

लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, और वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। साथ ही नीतिगत फोकस को केवल 'वित्तीय सेवाओं तक पहुंच' से हटाकर वित्तीय सेवाओं के 'उपयोग' और 'गुणवत्ता' पर भी केंद्रित किया जा रहा है। आरबीआई द्वारा निर्मित एफआई-इंडेक्स, जो इस दिशा में हमारे प्रयासों का संकेतक है, उपर्युक्त तीन आयामों, 'पहुंच', 'उपयोग' और 'गुणवत्ता' पर आधारित है। वित्तीय समावेश ('उपयोग' और 'गुणवत्ता') की गहनता के पक्ष को प्रदत्त उच्च भार के साथ सूचकांक के भार भविष्योन्मुखी हैं।

जिम्मेदार और निरंतर वित्तीय समावेश के लिए आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर संतुलन अवसर और नवाचार की आवश्यकता होती है। आपूर्ति पक्ष में, इसमें बचत खाते और उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक सस्ती और आसान पहुंच प्रदान करने के कदम शामिल हैं। मांग पक्ष में, यह वित्तीय साक्षरता और जागरूकता में सुधार करना चाहता है जो वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ाने में मदद करता है। मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के उपाय आदर्श रूप से एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में आम तौर पर मांग और आपूर्ति पक्ष के कारकों के बीच एक असमानता होती है।

जहाँ, पारंपरिक भौतिक संरचनाओं ने बुनियादी बैंकिंग सेवाओं को हमारे देश के कोने-कोने तक ले जाने में मदद की है, वहीं वित्तीय सेवाओं के विस्तार में डिजिटल नवाचारों के आगमन से, वित्तीय समावेश के अगले स्तर तक जाने की क्षमता है जिसमें वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता के मुकाबले समावेश की गुणवत्ता को वरीयता दी जाती है। भारत को एक महाद्वीपीय अर्थव्यवस्था के रूप में कई भाषाओं और संस्कृतियों, विविध और कभी-कभी कठिन इलाकों, बड़ी आबादी और कम आय वाले स्तरों के साथ समावेशी संवृद्धि सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमारा ध्यान न केवल बैंक खाते खोलने पर है बल्कि वित्तीय सेवाओं का एक पैकेज- लेनदेन, भुगतान, बचत, बीमा, और ग्राहकों के लिए आसानी से सुलभ और सस्ती क्रेडिट – की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी है। समावेशी ऋण ही समावेशी वित्तीय समावेश प्रक्रिया का आधार बनेगा।

वित्तीय समावेश पर समिति (अध्यक्ष: डॉ. सी. रंगराजन , आरबीआई, 2008) ने वित्तीय समावेश की परिभाषा में कमजोर समूहों के लिए 'सस्ती लागत और समय पर पर्याप्त ऋण' को स्पष्ट रूप से शामिल किया। वित्तीय समावेश के मध्यावधिक पथ संबंधी समिति (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती, आरबीआई, 2015) ने औपचारिक वित्त तक छोटे और सीमांत उद्यमों की पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया। इस प्रकार, क्रेडिट तक पहुंच, हमेशा वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने की दिशा में आरबीआई के प्रयासों का एक अभिन्न अंग रही है। अब मुझे समावेशी ऋण के प्रावधानों की थोड़ी चर्चा करनी चाहिए।

---

1 https://www.pmjdy.gov.in 24 अगस्त 2022 तक

2 dbie.rbi.org.in

3 https://www.rbi.org.in/Scripts/ATMView.aspx?atmid=136

4 आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

समावेशी ऋण का महत्व

क्रेडिट तक पहुंच एक बल गुणक के रूप में कार्य करती है, यदि व्यक्तियों के साथ-साथ फर्मों द्वारा इष्टतम रूप से इसका उपयोग किया जाता है। व्यक्तियों के लिए, यह उनकी वित्तीय और उद्यमी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है और जहां आवश्यक हो, आर्थिक झटकों के प्रति उनकी भेद्यता को कम करता है, जबकि फर्मों के लिए, यह उन्हें नई और अधिक उत्पादक प्रौद्योगिकियों में निवेश की योजना बनाने की अनुमति देने के अलावा सामान्य व्यवसाय संचालन को सक्षम बनाता है। व्यापार विविधीकरण और विस्तार उन्हें बढ़ने में मदद करता है जिससे नौकरी के अवसरों में वृद्धि होती है और आम तौर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। औपचारिक ऋण के लिए पर्याप्त, समय पर और सस्ती पहुंच के बिना, ग्राहक या तो अपनी इक्विटी या ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर होते हैं, जो न केवल महंगे हैं बल्कि दीर्घकालिक आधार पर शायद अस्थिर हैं।

हालांकि, हमारी वित्तीय समावेश यात्रा में एक चुनौती बैंक खाता खोलने के बाद विविध वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की गतिविधि और उपयोग के स्तर को बढ़ाना है। इस पृष्ठभूमि में, डिजिटल तरीका अपनाना सभी बाधाओं का समाधान प्रतीत होता है। हालाँकि, ऐसा करने से कहना आसान है।

आरबीआई और समावेशी ऋण

इस प्रयास में, आरबीआई ने त्रि-आयामी रणनीति अपनाई है जिसमें शामिल हैं:

- डिजिटल ऋण देने या डिजिटल ऋण की सुविधा के लिए वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं की स्थापना,
- सुरक्षित और निर्बाध ऋण वितरण सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी अवसंरचना का पोषण करना और
- ग्राहक-प्रथम विनियामक दृष्टिकोण अपनाना

मैं तीन फोकस क्षेत्रों में से प्रत्येक पर एक दृष्टिकोण साझा करना चाहता हूँ।

ऋण देने के लिए वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं की स्थापना

वित्तीय समावेश में आपूर्ति पक्ष की समस्याओं से निपटने हेतु पहले कदम के रूप में, नई वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं को क्रेडिट प्रदान करने के प्रावधान के साथ सामने लाया गया है ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि ग्राहक को वित्तीय सेवाएं 'कब और कहां आधार' पर उपलब्ध हैं और इस प्रकार सही मायने में 'कहीं भी, कभी भी बैंकिंग' की सुविधा स्थापित हो सके। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म: इस तरह की प्रथम पहल में, आरबीआई पी2पी नियमों के साथ उस समय सामने आया जब यह उद्योग स्वयं विकास के शुरुआती चरण में था। एक 'पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म' उधारकर्ताओं को ऋण प्राप्त करने और निवेशक को ज्यादातर छोटे टिकट ऋणों का विस्तार करने के लिए एक ऑनलाइन ऑन-टैप स्थान प्रदान करता है। नियमों को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फ्रेमवर्क नवोन्मेषी ऋण सेवाओं सीमित को नहीं करता है, साथ ही ग्राहक के हितों की रक्षा करने और प्रणालीगत चिंताओं को कम करने की मांग करता है।

सिर्फ डिजिटल एनबीएफसी: दूसरा, आरबीआई, सिर्फ डिजिटल एनबीएफसी के लिए पंजीकरण दिशानिर्देशों के साथ सामने आया, जो एक एनबीएफसी है और किसी भौतिक उपस्थिति (प्रशासनिक उद्देश्य को छोड़कर) के बिना पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। आरबीआई ने 2018 में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक एनबीएफसी की स्थापना की अनुमति देकर क्रेडिट मध्यस्थता में स्वस्थ नवाचार को संभव किया। हालांकि यह एनबीएफसी की एक नई श्रेणी नहीं है, लेकिन उनकी लाइसेंसिंग शर्तें उन्हें केवल डिजिटल मोड में अपने उत्पाद प्रदान करने के लिए बाध्य करती हैं। यहां भी, उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया है और संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे अनधिकृत पहुंच, डेटा परिवर्तन और विनष्टीकरण, यदि कोई हो, पर पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ आवश्यक आईटी अवसंरचना स्थापित करके ऑडिट ट्रेल्स को बनाए रखे। डेटा साझा करने के लिए स्पष्ट सहमति, सर्वरों का स्थानीयकरण, ऑडिट ट्रेल्स को बनाए रखना, सूचना सुरक्षा ऑडिट आदि जैसी विनियामक विशेषताएं एक साथ प्रगामी और अग्रसक्रिय हैं।

डिजिटल बैंकिंग यूनिट: 'ब्रिक एंड मोर्टार' बैंकिंग आउटलेट्स के साथ-साथ डिलीवरी के पसंदीदा मोड के रूप में

डिजिटल बैंकिंग के उभरने के साथ, केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की अवधारणा की घोषणा की गई थी और इन इकाइयों के संचालन के लिए दिशानिर्देश इस साल की शुरुआत में आरबीआई द्वारा जारी किए गए थे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो कि डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के साथ-साथ स्वयं-सेवा और सहायक दोनों मोड में - डिजिटल रूप से मौजूदा वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट निश्चित बिंदु व्यापार इकाइयों के के रूप में होंगे। यह उम्मीद की जाती है कि ऐसी इकाइयाँ ग्राहकों को इन उत्पादों और सेवाओं के कुशल, कागज रहित, सुरक्षित और उन्नत वातावरण में सस्ता, सुविधाजनक और उन्नत डिजिटल अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं, जिसमें अधिकांश सेवाएँ किसी भी समय स्व-सेवा मोड में उपलब्ध होती हैं।

समावेशी ऋण के लिए बाजार का बुनियादी ढांचा तैयार करना

भारत ने वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक सक्षम डिजिटल अवसंरचना बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यूपीआई, जीएसटीएन, टीआरईडीएस, जेएएम ट्रिनिटी और अकाउंट एग्रीगेटर्स (एए) कुछ का उदाहरण हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यह मजबूत समूह स्थापित हो गया है और जैसे-जैसे यह परिपक्व होता है, यह एक सहज और समयबद्ध तरीके से क्रेडिट के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगा जिसे लगभग कागज रहित वातावरण में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है। विभिन्न वित्तीय सेवा प्रदाताओं में फैले वित्तीय डेटा को एकत्र करने की ए ए की क्षमता और उपभोक्ताओं को उनकी वित्तीय योजना में मदद करने के लिए एनालिटिक्स और अंतर्दृष्टि बनाने हेतु इस डेटा का लाभ उठाने के लिए वित्तीय सेवा प्रदाताओं को अपने ग्राहकों को अनुकूलित उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति मिलेगी। एए ढांचे में 'इलेक्ट्रॉनिक सहमति संरचना' का एक महत्वपूर्ण तत्व भी है जो कई विकसित देशों के खुले बैंकिंग व्यवस्थाओं में सुधार करके बनाया गया है।

जैसा कि यूपीआई ने लोगों के भुगतान करने के तरीके को बदल दिया है, अकाउंट एग्रीगेटर के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने वाले सभी के लिए इसे और अधिक सहज और सुलभ बनाकर क्रेडिट को बदलने की क्षमता है। जे ए एम की तिकड़ी ने एफ आई के लिए चमत्कार किया है। यूपीआई, ई-केवाईसी और ए ए की अगली तिकड़ी से कस्टमाइज्ड और समावेशी क्रेडिट सेवाओं के प्रावधान में बैंकिंग में अगली क्रांति को सक्षम करने की उम्मीद है।

ग्राहक-प्रथम विनियामक दृष्टिकोण

महामारी के दौरान डिजिटल ऋण देने में एक आदर्श बदलाव देखा गया। कोविड-19 के प्रकोप के बाद ऑनलाइन ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म/ मोबाइल ऋण देने वाले ऐप में तेजी आई थी, जिसमें एक अध्ययन[5] का अनुमान है कि कोविड महामारी के दौरान उधार देने वाले ऐप के डाउनलोड में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उद्योग में सरलीकृत और गैर-प्रतिस्पर्धी स्थितियों के परिणामस्वरूप 1950 से 1970 के दशक तक बैंकिंग प्रथाओं की ओर इशारा करते हुए बैंकिंग में 3-6-3 नियम की बात करते थे। नियम था कि 3 फीसदी पर डिपॉजिट लिया जाए, 6 फीसदी पर कर्ज दिया जाए और दोपहर 3 बजे के बाद गोल्फ खेला जाए। हालाँकि, फिनटेक क्रांति ने इसे 2-1-0 के फॉर्मूले में बदल दिया है - निर्णय लेने के लिए 2 मिनट, मानव से मानव शून्य संपर्क के साथ धन हस्तांतरित करने के लिए 1 मिनट। सहायक तकनीकी परिवर्तनों के कारण हुए बैंकिंग व्यवसाय मॉडल में इस बदलाव ने हर संभव के दायरे का विस्तार किया है।

आरबीआई द्वारा पिछले साल स्थापित डिजिटल लेंडिंग पर वर्किंग ग्रुप ने नोट किया था कि बैंकों के मामले में भौतिक मोड की तुलना में डिजिटल मोड में उधार देना, अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है (डिजिटल मोड [6] के माध्यम से ₹1.12 लाख करोड़ रुपये की तुलना में भौतिक मोड के माध्यम से ₹53.08 लाख करोड़) जबकि, एनबीएफसी के लिए, उधार का उच्च अनुपात (डिजिटल मोड के माध्यम से ₹0.23 लाख करोड़ भौतिक मोड के माध्यम से ₹1.93 लाख करोड़) डिजिटल मोड[7] के माध्यम से

---

[5] फू, जोनाथन और मिश्रा, मृणाल, फिनटेक इन द टाइम ऑफ कोविड-19: टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन ड्यूरिंग क्राइसिस (28 नवंबर, 2021)। स्विस फाइनेंस इंस्टीट्यूट रिसर्च पेपर नंबर 20-38, फाइनेंशियल इंटरमीडियेशन जर्नल, आगामी, एसआरएन पर उपलब्ध: https://ssrn.com/abstract=3588453 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3588453

[6] ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के जरिए कर्ज देना शामिल है

[7] https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=52589 पर उपलब्ध है।

दिया जा रहा है। हालांकि, अगर हम डिजिटल मोड के माध्यम से संवितरण की कुल मात्रा में वृद्धि देखते हैं, तो इसमें 2017 और 2020 के बीच बारह गुना की भारी वृद्धि देखी गई है। डिजिटल ऋण देने के परिदृश्य में उत्पाद वितरण के लिए अभिनव मॉडलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिसमें प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) लेनदेन-आधारित उधार, बैंक-फिनटेक साझेदारी मॉडल, बाजार ऋण और बैंक-आधारित डिजिटल मॉडल शामिल हैं। हालाँकि, अधिकांश डिजिटल ऋण, बैंक / एनबीएफसी - फिनटेक साझेदारी द्वारा दिए जा रहे हैं, जहाँ फिनटेक बैंकों / एनबीएफसी के लिए ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी) के रूप में कार्य कर रहे हैं।

हालाँकि, डिजिटल ऋण के विस्तार के साथ, विभिन्न चिंताएँ भी सामने आई हैं। ये मुख्य रूप से तीसरे पक्ष के बेलगाम जुड़ाव, गलत बिक्री, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, अनुचित व्यापार आचरण, अत्यधिक ब्याज दरों और अनैतिक वसूली प्रथाओं से संबंधित हैं। अग्रसक्रिय उपाय के रूप में, आरबीआई ने 24 जून 2020 को डिजिटल ऋण पर एक परिपत्र जारी किया, जिसमें यह सलाह दी गई थी कि डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफ़ॉर्म बैंक / एनबीएफसी के नाम का खुलासा करेंगे, जिनकी ओर से वे ऋण प्रदान कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृति पत्र संबंधित बैंक / एनबीएफसी के लेटरहेड पर है। दूसरी ओर में बैंक / एनबीएफसी उनके द्वारा नियोजित डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म की पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करेंगे।

डिजिटल लेंडिंग पर वर्किंग ग्रुप ने डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम से उत्पन्न होने वाली चिंताओं पर गहराई से विचार किया। डिजिटल ऋण देने के लिए हाल ही में घोषित विनियामक ढांचा आरबीआई के ग्राहक-प्रथम विनियमों के दृष्टिकोण को समाहित करता है। ढांचे को नवोन्मेषी और समावेशी प्रणाली की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्राहक के हितों को दुष्प्रभावित करने के लिए विनियामक हस्तक्षेप का दुरुपयोग न किया जाए। इस विनियामक ढांचे का एक अन्य अंतर्निहित विषय यह है कि विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करने का दायित्व विनियमित संस्थाओं के पास है और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण सेवा प्रदाता और डिजिटल ऋण देने वाले ऐप जिनके साथ उन्होंने टाई-अप किया है, कार्य और सिद्धांत दोनो रूप में, विनियामक परितंत्र के भीतर कार्य करे।

आगे का दृष्टिकोण

वित्तीय समावेश की व्यापकता से भारत में बचत के वित्तीयकरण में वृद्धि होगी। डिजिटल मोड, जीएसटीएन, ऑनलाइन शॉपिंग, पी2पी भुगतान, क्यूआर कोड परिनियोजन और अन्य सभी चीजों को एक साथ अपनाने से ग्राहक डेटा की मात्रा उत्पन्न होगी। इस डेटा का, संभावित रूप से, ग्राहकों की जरूरतों, व्यवहार और पुनर्भुगतान क्षमता को चार्ट करने और डिजिटल समावेश में मदद करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। एक विशिष्ट क्षेत्र जहां डिजिटल लेंडिंग में आर्थिक संवृद्धि के लिए उत्प्रेरक बनने की क्षमता है, वह एमएसएमई को कैश-फ्लो आधारित लेंडिंग है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संवृद्धि का एक महत्वपूर्ण इंजन है क्योंकि निर्यात में वह लगभग 45 प्रतिशत योगदान करता है और 11.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। निर्बाध और डिजिटल कैश-फ्लो आधारित उधार द्वारा एमएसएमई के लिए उचित ऋण का प्रावधान उन्हें बहुत जरूरी प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यह उधारदाताओं को एंड-टू-एंड उधार प्रक्रिया और उत्पादों के "शैचेकरण" को पुन: तैयार करने के लिए तत्काल नकदी-प्रवाह डेटा का लाभ उठाने में मदद करेगा।

दूसरी ओर, डिजिटल लेंडिंग पर वर्किंग ग्रुप द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त उपाय, जैसे, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (डिजिटा)- एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना और जैसे केवल प्राधिकृत संस्थाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से बैलेंस शीट ऋण देने की सीमा तय करने के लिए, अविनियमित जमाराशि योजना पर प्रतिबंध (बीयूडीएस) अधिनियम, 2019 की तर्ज पर अविनियमित उधार गतिविधियों पर प्रतिबंध (बीयूएलए) अधिनियम के रूप में अनुशंसित/ प्रस्तावित विधायी हस्तक्षेप, डिजिटल ऋण परितंत्र को काफी हद तक सुरक्षित और स्वस्थ बनाएगा।

निष्कर्ष

भारत जैसी तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में विनियामक के लिए चुनौती, बाजार के नवाचारों के साथ तालमेल बनाए रखना है और बेरोक नवाचार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना है – जोकि एक कठिक कार्य

है। जिम्मेदार वित्तीय नवाचार के लिए वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ नये उत्पादों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, डिजिटल क्रेडिट से निकलने वाले लाभों की पहचान करते हुए, हमें डेटा गोपनीयता, विघटनकारी व्यापार मॉडल, आक्रामक वसूली के तरीकों और अत्यधिक ब्याज दरों जैसे आसन्न जोखिमों का संज्ञान लेने की आवश्यकता है। एक विनियामक के रूप में, हम उद्योग/ बाजार के विकास के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण का पालन कर रहे हैं और यह डिजिटल ऋण देने के लिए एक उपयुक्त विनियामक ढांचा लाने में परिलक्षित होता है।

व्यक्तियों और फर्मों को आर्थिक अवसर उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाकर, डिजिटल क्रेडिट एक सतत और समावेशी संवृद्धि के लिए एक शक्तिशाली कारक हो सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि वित्तीय समावेश केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि सतत आर्थिक संवृद्धि, असमानता को कम करने और गरीबी को खत्म करने का साधन भी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्तीय समावेश की पहचान 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 7 के लिए एक संबल के रूप में की गई है। सबसे पहले, डिजिटल क्रेडिट को जिम्मेदार, समावेशी और व्यवहार्य होना चाहिए और इसके लिए हर वित्तीय संस्थान को प्रयास करना चाहिए। हमेशा की तरह, आरबीआई, वित्तीय नवाचार, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय अवसंरचना को मजबूत करने के लिए एक सक्षम विनियामक परितंत्र बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा।

धन्यवाद !